



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 29 जुलाई, 2025

श्रावण 7, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय)

संख्या 14 / 2025 / 750 / सात-न्याय-2-2025-176जी-2010 टी0सी0-2

लखनऊ, 29 जुलाई, 2025

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0-56

भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उन्हें अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उच्च न्यायालय इलाहाबाद की संस्तुति पर उत्तर प्रदेश राज्य जिला न्यायालय सेवा नियमावली, 2013 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य जिला न्यायालय सेवा (द्वितीय संशोधन)

नियमावली, 2025

1-(एक) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य जिला न्यायालय सेवा (द्वितीय संशोधन) संक्षिप्त नाम और  
नियमावली, 2025 कही जायेगी। प्रारम्भ

(दो) यह नियमावली सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश राज्य जिला न्यायालय सेवा नियमावली, 2013, जिसे आगे उक्त नियम-19 में  
नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-19 के स्थान पर  
स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:- संशोधन

स्तम्भ-1

वर्तमान में प्रचलित नियम

19-परिवीक्षा-(1) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में सभी नियुक्तियों दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर होंगी।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

19-परिवीक्षा-(1) कोई व्यक्ति,-

(क) सीधी भर्ती के माध्यम से किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा। नियुक्ति प्राधिकारी, व्यक्तिगत मामलों में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वह दिनांक जब तक के लिये अवधि बढ़ायी जाय, विनिर्दिष्ट करते हुए परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है:

परन्तु यह कि आपवादिक स्थितियों को छोड़कर, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी।

(ख) भर्ती के स्रोतों में से एक यदि सीधी भर्ती है, तो पदोन्नति द्वारा किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, व्यक्तिगत मामलों में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वह दिनांक, जब तक के लिये अवधि बढ़ायी जाय, विनिर्दिष्ट करते हुए परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है:

परन्तु यह कि, आपवादिक स्थितियों को छोड़कर, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी।

(ग) सुसंगत सेवा नियमावली में विहित प्रक्रिया के अनुसरण में किसी पद पर समायोजन, आमेसन या संविलियन द्वारा नियुक्त एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, व्यक्तिगत मामलों में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से वह दिनांक, जब तक के लिये अवधि बढ़ायी जाय, विनिर्दिष्ट करते हुए परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है:

परन्तु यह कि आपवादिक स्थितियों को छोड़कर, परिवीक्षा अवधि छः माह से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी और किसी भी परिस्थिति में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी।

2-यदि किसी व्यक्ति को ऐसे पद पर पदोन्नत किया जाता है जहां भर्ती का स्रोत केवल पदोन्नति हो तो उसे परिवीक्षा पर रखना आवश्यक नहीं होगा।

(2) पदोन्नति द्वारा सभी नियुक्तियों परिवीक्षा आधार पर दो वर्ष की अवधि के लिये होंगी।

(3) परिवीक्षा अवधि, लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसी अवधि के लिये जो उपनियम (1) या (2) में विनिर्दिष्ट अवधि से अनधिक होगी, बढ़ाई जा सकती है।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी, परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, इस प्रकार नियुक्त किये गये या पदोन्नत किये गये व्यक्ति की ऐसे पद को, जिस पर वह नियुक्त या प्रोन्नत किया गया था, धारण करने की उपयुक्तता पर विचार करेगा, और

(एक) यदि वह विनिश्चय करता है कि वह पद को, जिस पर वह नियुक्त या पदोन्नत किया गया था, धारण करने के लिये उपयुक्त है और उसने परिवीक्षा अवधि के दौरान उत्तीर्ण किये जाने हेतु अपेक्षित परीक्षा या परीक्षण, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर लिया है तो वह यथा शक्य शीघ्र उसके द्वारा परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण

कर लिये जाने की घोषणा करते हुए एक आदेश जारी करेगा, और ऐसा आदेश यथास्थिति बढ़ाई गई अवधि, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए परीक्षा अवधि की समाप्ति के दिनांक से प्रभावी होगा।

(दो) यदि नियुक्ति प्राधिकारी यह समझता है कि वह व्यक्ति उस पद को, जिस पर वह यथास्थिति नियुक्त या पदोन्नत किया गया था, धारण करने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो यह एक आदेश द्वारा—

(क) उसे उस पद, जिसे वह प्रोन्नति के पूर्व धारण कर रहा था, पर प्रत्यावर्तित कर सकता है यदि वह पदोन्नति प्राप्त है।

(ख) यदि परीक्षाधीन है, तो उसे सेवा मुक्त कर सकता है।

(5) किसी व्यक्ति द्वारा परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण की गई नहीं समझा जायेगा जब तक कि इस आशय का विनिर्दिष्ट आदेश जारी किया जाय। ऐसे आदेश के पारित होने में किसी विलम्ब से कोई व्यक्ति सफलतापूर्वक परीक्षा अवधि पूर्ण किया हुआ नहीं माना जाएगा।

(3) किसी व्यक्ति को परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण की गई नहीं समझा जायेगा जब तक कि इस आशय का विनिर्दिष्ट आदेश जारी न किया जाय। ऐसे आदेश के पारित होने में किसी विलम्ब से कोई व्यक्ति सफलतापूर्वक परीक्षा अवधि पूर्ण किया हुआ नहीं माना जाएगा।

3-उक्त नियमावली में, विद्यमान नियम-25 के पश्चात् नया नियम-25(क) बढ़ा नये नियम को दिया जायेगा, अर्थात:- बढ़ाया जाना

25(क)-निःशक्तता के आधार पर सेवा से अभिमुक्त नहीं किया जाना:-

1-कोई अधिकारी या कर्मचारी को सेवा के दौरान केवल निःशक्तता से ग्रसित होने के आधार पर रैंक में अवनत सेवाओं से अभिमुक्त या पदोन्नति से वंचित नहीं किया जायेगा।

2-यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी सेवा के दौरान होने वाले किसी निःशक्तता के कारण अपने धारित पद से बद्ध कर्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए अनुपयुक्त हो जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी उसे किसी अन्य पद पर नियोजित करने हेतु विचार कर सकता है, जहां वह उक्त पद से बद्ध अपने कर्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन कर सके, जो उसी वेतनमान और ग्रेड में हो, जैसा कि निःशक्तता से ग्रसित होने के समय अधिकारी या कर्मचारी द्वारा वेतनमान और ग्रेड लिया गया था।

3-यदि कर्मचारी को किसी पद के सापेक्ष समायोजित करना सम्भव नहीं हो तो उसे किसी अधिसंख्य पद पर रखा जा सकता है, जब तक कि कोई उपयुक्त पद उपलब्ध नहीं हो या वह अधिवर्षिता आयु प्राप्त न कर ली हो, जो भी पहले हो।

**स्पष्टीकरण**—पद “निःशक्तता” का अर्थ वही होगा जो समय-समय पर यथा संशोधित निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के संलग्न अनुसूची के अनुसार समनुदेशित किया गया है।

आज्ञा से  
विनोद सिंह रावत,  
प्रमुख सचिव।

-----

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 14/2025/750/VII-Nyaya-2-2025-176G-2010-T.C.-2 dated July 29, 2025:

No. 14/2025/750/VII-NYAYA-2-2025-176G-2010-T.C.-2

*Dated: Lucknow, July 29, 2025*

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India and all other powers enabling him in this behalf, the Governor, on the recommendation of the High Court of Judicature at Allahabad, is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh State District Court Service Rules, 2013.

163 RPH (Niyamavali Nyaya anubhag-2) 2025 data 6e

THE UTTAR PRADESH STATE DISTRICT COURT SERVICE  
(SECOND AMENDMENT) RULES, 2025

Short Title and commencement      1.(1)These Rules shall be called “The Uttar Pradesh State District Court Service (Second Amendment) Rules, 2025.”

(2)These Rules shall come into force with effect from the date of their publication in the official *Gazette*.

Amendment in Rule 19      2.In the Uttar Pradesh State District Court Service Rules, 2013 hereinafter referred to as the said rules, *for* existing rule 19, set out in Column-1 below the rule set out in Column-2 shall be *substituted*, namely: –

COLUMN-1

*Existing Rule*

19.Probation–

(1)All appointments to the Service by direct recruitment shall be on probation for the period of two years.

COLUMN-2

*Rule as hereby substituted*

19.Probation-(1) A person,–

(a) on substantive appointment to a post through direct recruitment shall be placed on probation for a period of two years. The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted:

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstance beyond two years.

(b) on substantive appointment to a post by promotion, if direct recruitment is one of the sources of recruitment, shall be placed on probation for a period of two years. The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted: Provided that, save in exceptional circumstances, the probation period of shall not be extended beyond one year and in no circumstance beyond two years.

(c) appointed on a post by adjustment, absorption or merger in accordance with the procedure prescribed in the relevant service rules, shall be placed on probation for a period of one year. The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted:

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond six months and in no circumstance beyond one year.

(2)All appointments by promotion shall be on probation basis for a period of two years.

(3)The period of probation for reasons to be recorded in writing, may be extended by the appointing authority by such period not exceeding

(2) It will not be necessary to place a person on probation if he is promoted to a post where promotion is the only source of recruitment.

the period of probation specified in sub-rule (1) or (2).

(4) At the end of period of probation or the extended period of probation the appointing authority shall consider the suitability of the person so appointed or promoted to hold the post to which he was appointed or promoted, and

I. If it is decided that he is suitable to hold the post to which he was appointed or promoted and has passed the examinations or tests, if any, required to be passed during the period of probation, it shall, as soon as possible, issue an order declaring him to have satisfactorily completed the period of probation and such an order shall have effect from the date of expiry of the period of probation, including extended period, if any, as the case may be.

II. If the appointing authority considers that the person is not suitable to hold the post to which he was appointed or promoted, as the case may be, he shall by order-

(a) If he is a promotee, revert him to the post which he held prior to his promotion.

(b) If he is probationer, discharge him from service.

(5) A person shall not be considered to have satisfactorily completed the period of probation unless a specific order to that effect is passed. Any delay in passing such an order shall not entitle the person to be deemed to have satisfactorily completed the period of probation.

(3) A person shall not be considered to have satisfactorily completed the period of probation unless a specific order to that effect is passed. Any delay in passing such an order shall not entitle the person to be deemed to have satisfactorily completed the period of probation.

3. In the said rules *after* existing Rule 25, the new Rule 25 (A) shall be Insertion of new rule  
*inserted*, namely:-

25(A). Services not be dispensed with on the ground of disability:-

1.No officer or employee shall be reduced in rank, his services dispensed with or promotion denied solely on the ground of a disability suffered during service.

2.In case a disability acquired during service renders the officer or employee unsuitable to discharge the duties and functions attached to the post he was holding, the appointing authority may consider his placement on another post where he can discharge the duties and functions attached to the said post which may be in the same pay scale and grade as was drawn by the officer or employee at the time of the disability having been suffered.

3.It is not possible to adjust the employee against any post, he may be kept on a supernumerary post until a suitable post is available or he attains the age of superannuation, whichever is earlier.

**Explanation:-** The expression "disability" shall have the meaning assigned to it as per the Schedule appended to the Right of Persons with Disabilities Act, 2016, amended from time to time.

By order,  
VINOD SINGH RAWAT,  
Principal Secretary.